न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 203/2017 (उदयपुर डिक्री)

श्री रूपसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी दोवडाई तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक 25–09–2017 प्रकरण संख्या 306/2012 वाद

————

उपस्थित :–1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2–श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

—————/—————

निर्णय **दिनांक 09–01–2019**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध एक वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भानसोल में स्थित आराजी नंबर 1532मीन रकबा 150 बीघा 14 बिस्वा भूमि है। इस भूमि में से 5 बीघा भूमि आदेश दिनांक 24–5–1982 से उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने उसे आवंटित की। जिसके खसरा नंबर 2706/1532 पड़े। भूमि पर 32 वर्षो से उनका कब्जा है तथा उन्होंने इस भूमि को आबादान किया है। प्रतिकूल कब्जे से भी वे खातेदार बन गये है। सरकार जरिये तहसीलदार की और से खण्डन का जवाब पेश किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की :–

1. आया वादी मौजा भानसोल की आराजी नंबर 1532 मी. में से 5 बीघा भूमि दिनांक 24–5–1982 को वादी के नाम आवंटन हुई जिसके नये नम्बर 2706 / 1532 है? .... वादी

2. आया वादी इस आराजी पर कब्जा 32 वर्षो से चला आ रहा है। भूमि नाम पर नहीं होने से अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। ....वादी

3. आया वादी वाद वर्णित भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म मंगरी है। इसलिए मंगरी में कृषि नहीं हाती है। उक्त भूमियों का आवंटन नियमन नहीं किया जाता है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है?.......... प्रतिवादी

4. अनुतोष।

प्रकरण में वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 12–09–2017 को प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा गवाह पेश नहीं कर बहस चाहा। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–09–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–12–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रृवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या–1 में आवंटन होना माना है, उसके बावजूद कब्जा नहीं होना मानकर त्रुटिपूर्ण वाद खारिज किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि अपीलान्ट की माता को वर्ष 1981 में 5 बीघा भूमि आवंटन होने व उसका कब्जा सिपुर्द करने व आवंटन आदेश जारी होने तथा नामान्तरकरण खुल जाने तक के वर्ष 1981–82 के दस्तावेज प्रस्तुत करता है, परन्तु वर्ष 1981–82 के वाद दायरी वर्ष 2012 के 31–32 वर्षो तक उसका कब्जा रहा है अथवा नहीं यह सिद्ध करना वादी अपीलान्ट का दायित्व था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि **"कब्जा नही ंतो घोषणा नहीं"** तद्नुसार वादी ने अपने भार सिद्ध दायित्व कब्जे को प्रमाणित नहीं करवाया है। अतएव बिना कब्जे के खातेदारी घोषणा नहीं किये जाने का अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से उचित है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09–01–2019 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री रूपसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत	बनाम	**राजस्थान राज्य जरिये**
निवासी दोवडाई तहसील मावली		**तहसीलदार मावली**
जिला उदयपुर (राज0)		**जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **203/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** .... **मावली** **........** मुकाम मुर्क्खे...........**25**............माह.............**09**................ **2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**09**..... माह ......**01**.......... सन् **2019** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी....**श्री तुलसीराम डांगी** **....................** मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री पंकज भटनागर** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2017 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**09**...... माह ...**01**........ **2019** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।